न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 98/2023

अनवान : –

1. साधुराम पुत्र सीताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. गुडडी देवी पत्नी सीताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सरस्वती देवी पत्नी नेतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री सीताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. विमला पत्नी पालाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: –03/05/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 276/241 की कुल 9.2830 हैक्ट भूमि में सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 4 मुश्तरका खाता के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है सायल ने अपने हक हिस्सा की भूमि समतल व उपजाउ बना रखा है तथा सायल ने परिश्रम व मेहनत करके उक्त वाद भूमि को समतल बनाया है। सायल के हक हिस्सा की भूमि अच्छी किस्म की होने के कारण गैरसायलान से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। इसलिए सायल मुताबिक हक हिस्सा व अपना खाता व लगान गैरसायलान से अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

सायल व गैरसाायलान का खाता मुश्तरका है तथा की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए सायल, गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की ताफैसला दावा की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 276/241 की कुल 9.2830 हैक्ट भूमि को गैरसायलान रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 276/241 की कुल [illegible] हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी [illegible] भूमि के विशेष खसरा न0 को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। अप्रार्थीगण को ज[illegible] नोटिस तलब किया [illegible] अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश इस आशय का पेश किया की सायल व गैरसायलान ने उक्त वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने हिस्से पर काबिज है। गैरसायलान वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके खिलाफ किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है एवं गैरसायलान अच्छी किस्म की कृषि अजनबी क्रेता को रहन/बैय करने पर उतारू है अतः जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा न तो वाद भूमि पर केसीसी बन रही है और न ही अन्य लॉन। वाद भूमि संयुक्त खाता की भूमि है अगर अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय किया जाता है तो प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचना किया जा नहा है न कि प्राथी के हक हिस्सा की भूमि का। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 276/241 की कुल 9.2830 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि में दर्ज मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.05.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested